निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुबंध-V

फॉर्म संख्या एमआर-3
सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में]

सदस्य गण,
आरईसी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

हमने **आरईसी लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" कहा जाएगा)** द्वारा अपनाई जा रही लागू सांविधिक प्रावधानों और अच्छी कारपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षा की है। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई कि इससे हमें कारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमें अपनी राय व्यक्त करने का तार्किक आधार मिला।

लेखा बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल किए गए रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेन्टों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना,व्याख्या और स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व और कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए कोविड–19 महामारी के प्रसार के कारण अधिपत्रित पर आधारित अपने सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी उल्लिखित करते हैं कि कंपनी में समुचित बोर्ड प्रक्रिया और अनुपालन तंत्र कार्यरत है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है:

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने लेखा बही, दस्तावेज़ों कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:

क. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेकओवर्स का मूल अधिग्रहण) विनियम, 2011:

ख. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2018 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कार्मिक हितलाभ और श्रम–जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

ङ. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और प्रतिभूतियों के निर्गमन तक क्लाइंट के साथ सम्मान के साथ व्यवहार संबंधी;

छ. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009: **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);**

ज. भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; **(लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);** तथा

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021।

यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीबद्ध एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और यह कंपनी विद्युत क्षेत्र के वित्तीय प्रदान करने के कारोबार में लगी हुई है, जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है और प्रमाणित किया गया है, क्षेत्रों/कारोबारों के आधार पर कंपनी के लिए निम्नलिखित कानून विशेष रूप से लागू हैं:

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी नियम, विनियम एवं अनुदेश।
- लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कारपोरेट सुशासन संबंधी दिशा–निर्देश।

हमने निम्नलिखित के लिए लागू खंडों/विनियमों की अनुपालना की भी जांच की है :

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 [सेबी (एलओडीआर)]।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने नीचे दिए गए विवरणों को छोड़कर उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

1. *कंपनी, सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही थी, बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में, चार स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता के लिए कुल तीन स्वतंत्र निदेशक (15 नवंबर, 2021 को*

नियुक्त दो स्वतंत्र निदेशक और 30 दिसंबर, 2021 को नियुक्त एक स्वतंत्र महिला निदेशक) थे।

2. *1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारकों संबंध समिति की बैठकों की संरचना, अध्यक्षता और गणपूर्ति की संरचना सेबी (एलओडीआर) के विनियम 18, 19 और 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 के अनुपालन में नहीं थी।*

3. *निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना 1 अप्रैल, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में नहीं थी।*

4. *जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना 5 मई, 2021 से 6 दिसंबर, 2021 तक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 21(2) के अनुपालन में नहीं थी।*

5. *कंपनी निर्धारित समय के भीतर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सेबी (एलओडीआर) के विनियम 25(6) के अनुपालन में नहीं थी।*

एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 91 के अनुसार, आरईसी के बोर्ड में सभी निदेशकों की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। हालांकि, दो स्वतंत्र निदेशकों को 15 नवंबर, 2021 को नियुक्त किया गया था और एक स्वतंत्र महिला निदेशक को कंपनी के बोर्ड में 30 दिसंबर, 2021 को नियुक्त किया गया था।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, लेकिन कंपनी के पास इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जैसा कि ऊपर कहा गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना में हुए परिवर्तन, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों के लिए सभी निदेशकों को समुचित रूप से सूचना दी गयी थी। कम से कम सात दिन पूर्व कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी भेजी गई थी (आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन करने के बाद अल्प सूचना पर आयोजित बैठकों के अलावा) और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रक्रिया मौजूद है।

बोर्ड और/अथवा समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों में कार्यवृत्त में बोर्ड की बैठकों या संबंधित समिति की बैठकों के सर्वसम्मति से लिए गए सभी निर्णयों को दर्ज किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा–निर्देशों की निगरानी और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के कार्यों से मुख्य रूप से संबंधित कंपनी में निम्नलिखित विशिष्ट गतिविधियां हुई:

जैसा कि नीचे सूचीबद्ध है कंपनी ने विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विभिन्न ऋण लिखतें जारी करके दीर्घावधिक/अल्पावधिक निधि जुटाई है:

क्रम सं.	ऋण लिखतों के प्रकार	राशि (₹ करोड़ में)
1.	54 ईसी पूंजीगत लाभ कर छूट बॉण्ड्स	7,316
2.	संस्थागत बॉण्ड्स/अधीनस्थ बॉण्ड्स	9,080
3.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण	25,850
4.	विदेशी मुद्रा उधार और एफसीएनआर (बी) ऋण	30,178
5.	बैंकों से ऋण (6 महीने की अवधि से अधिक)	3,950
6.	वाणिज्यिक पत्र	2,000
	अवधि के दौरान जुटाई गई कुल निधियां	**78,374**

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: F6033
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या: 6370
यूडीआईएन: F006033D000642669

स्थान: दिल्ली
तिथि: 18 जुलाई, 2022

इस रिपोर्ट को अनुलग्नक ए के साथ पढ़ा जाए, जो इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध- क

सदस्यगण,
आरईसी लिमिटेड
कोर–4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिपोर्ट का रख–रखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिपोर्ट पर राय व्यक्त करने की है।
2. हमने ऐसी लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है जो सचिवालयी रिपोर्ट की सामग्री के सही होने के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। यह सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक जांच के आधार पर किया गया था कि सचिवालयी रिपोर्ट में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक तर्कसंगत आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखाबहियों की सटीकता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कारपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच यादृच्छिक जांच के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के संबंध में न तो कोई आश्वासन है और न ही इसकी सक्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को किया है।

कृते हेमंत सिंह एवं एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हेमंत कुमार सिंह
(भागीदार)
सदस्यता संख्या: F6033
प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या: 6370
यूडीआईएन: F006033D000642669

स्थान: दिल्ली
तिथि: 18 जुलाई, 2022